राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1020 / 2023	रोहिताश कुमार मीना व अन्य	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर। 4. उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम, छत्तरगढ़, बीकानेर। 5. श्रीमती संतोष कुमारी जरिये उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम, छत्तरगढ़, बीकानेर। 6. श्रीमती रीतू बाला जरिये उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम, छत्तरगढ़, बीकानेर।
2.	1021 / 2023	वेद प्रकाश व अन्य	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर। 4. उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय, बीकानेर। 5. श्रीमती मनीषा कंवर जरिये उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय, बीकानेर।

आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमल कुमार माथुर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 1020 / 2023 रोहिताश कुमार मीना व अन्य की अपील को अग्रग अपील मानकर

उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है। प्रस्तुत अपीले अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को उनसे पहले पदोन्नति देने के कारण प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक वनपाल के पद पर रेंज 61आरडी केवाईडी, छत्तरगढ़, बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा वनरक्षक की दिनांक 01.04.2021 की संदर्भ तिथि को जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–4) में प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं 6 को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जो कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों से कनिष्ठ है। अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा वर्ष 2022–23 में रिक्तियों के विरूद्ध सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि उनकी पदोन्नति वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध इसलिए नहीं की गई है, की उनके द्वारा आईपीआर (अचल सम्पत्ति विवरण) नहीं भरी गई थी। अनुलग्नक–8 से स्पष्ट है कि आईपीआर (अचल सम्पत्ति विवरण) ऑनलाईन नहीं होने के आधार पर वर्ष 2021–22 की पदोन्नति से अपीलार्थियों को वंचित रखा गया था। अपीलार्थीगण द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आईपीआर (अचल सम्पत्ति विवरण) ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु विस्तारित अवधि में आईपीआर ऑनलाईन करने के फलस्वरूप उप वन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–प्रथम द्वारा अपीलार्थियों की वर्ष 2021–22 की रिव्यू डीपीसी आयोजित करने हेतु प्रस्ताव संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को किया गया (अनुलग्नक–8)। संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) से रिव्यू डीपीसी के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है (अनुलग्नक–9)। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की पदोन्नति हेतु आईपीआर ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अयोग्य माना गया है और बाद में सरकार द्वारा विस्तारित अवधि में अपीलार्थियों द्वारा आईपीआर ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाना स्पष्ट है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू डीपीसी आयोजित करने के संबंध में प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) को प्रस्तुत किया हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 06.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को वर्ष 2021–22 की डीपीसी में वंचित रहे वन रक्षकों की रिव्यू डीपीसी कराने का

अनुरोध किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण को वनरक्षक से सहायक वनपाल के पद पर वर्ष 2021–22 के रिक्तियों के विरूद्ध पदौन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावें कि वर्ष 2021–22 की सहायक वनपाल के पद पर प्रमोशन के लिये रिव्यू डीपीसी की जाकर अपीलार्थीगण को पदौन्नति प्रदान की जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में अचल सम्पत्ति की सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए कार्मिक विभाग के बाध्यकारी परिपत्र दिनांक 29.06.2021 की अनुपालना में अपीलार्थीगण की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उनको अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किए जाने के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिली, से प्रत्यर्थी विभाग सहमत नहीं है, जबकि प्रस्तुत अपीलार्थीगणों के अन्य दो बैचमेन्ट द्वारा निर्धारित समयावधि में अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकॉर्ड (अनुलग्नक–2) के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वनरक्षक की दिनांक 01.04.2021 की संदर्भ तिथि को जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–4) में प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं 6 को पदोन्नति प्रदान की गई है, जो अपीलार्थी अमनदीप को छोड़कर शेष अन्य अपीलार्थियों से कनिष्ठ है। अपीलार्थीगण को कार्यालय आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा वर्ष 2022–23 में रिक्तियों के विरूद्ध सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उभय पक्ष के कथन/रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थियों की पदोन्नति वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध इसलिए नहीं की गई है, की उनके द्वारा ऑनलाईन आईपीआर (अचल सम्पत्ति विवरण) नहीं भरी गई थी, जो अनुलग्नक–8 से स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा शासन द्वारा ऑनलाईन आईपीआर प्रस्तुत करने हेतु विस्तारित अवधि में आईपीआर ऑनलाईन करने के आधार पर उप वन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–प्रथम द्वारा रिव्यू डीपीसी आयोजित करने हेतु प्रस्ताव संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को किया जाना

एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर द्वारा रिव्यू डीपीसी का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) को प्रेषित करना अनुलग्नक–8 एवं 9 से स्पष्ट है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को वर्ष 2020–21 की पदोन्नति हेतु आईपीआर ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अयोग्य माना गया है और अपीलार्थियों ने सरकार द्वारा विस्तारित अवधि में आईपीआर ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी है और इसी आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 की सहायक वनपाल के रिक्त पदों हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित करने के संबंध में प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किया हुआ है, जो लम्बित है। यही समान तथ्य अन्य अपील संख्या 1021/2023 में निहित है।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि वर्ष 2021–22 की वनरक्षक से सहायक वनपाल के रिक्त पदों हेतु लम्बित रिव्यू डीपीसी आयोजित करने की प्रक्रिया आगामी तीन माह में सम्पादित की जावे और उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता और अन्य पात्रताओं के आधार पर अपीलार्थीगण को भी वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1020/2023 में एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)